न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम

पीठासीन अधिकारी : ब्रजेन्द्र जैन
आ.विविध अग्रिम (जमानत) प्रकरण सं. : 1104/2026

रोहित कुमार पुत्र श्री सत्यदेव, उम्र 38 वर्ष, निवासी ए–311, 02, शांति नगर, लोनी देहात, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

.....प्रार्थी–अभियुक्त

विरूद्ध

राजस्थान राज्य

.....अप्रार्थी

(प्र.सू.रि.सं. 17/2019 साइबर पुलिस थाना आयुक्तालय, जयपुर धारा 420, 419, 406, 120बी भा.द.सं.)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अधीन आदेश

उपस्थिति :

1. श्री राजेश सैनी, योग्य अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी
2. श्री दिनेश कुमार कुमावत, योग्य लोक अभियोजक, वास्ते सरकार

आदेश **दिनांक 18.06.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त रोहित कुमार की ओर से साइबर पुलिस थाना आयुक्तालय, जयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 17/2019 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 419, 406, 120बी भा.द.सं. में अपनी गिरफ्तारी की आशंका के फलस्वरूप यह अग्रिम जमानत का आवेदन अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रस्तुत किया गया है। नकल लोक अभियोजक को दिलवाई गई। केस डायरी तलब की गई।

2. प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा अपने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि प्रार्थी–अभियुक्त का प्रकरण से कोई संबंध नहीं है, प्रार्थी–अभियुक्त ने एस.बी.आई. लाईफ इंश्यारेंस में कभी कार्य नहीं किया। पुलिस द्वारा प्रार्थी–अभियुक्त को धारा 41(ए) द.प्र.सं. का नोटिस भी नहीं दिया गया है, प्रार्थी–अभियुक्त का अन्य मुलजिमानों से कोई सरोकार नहीं है। यदि प्रार्थी को अकारण गिरफ्तार किया गया, तो उसके विधिक अधिकारों का हनन होगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत की सुविधा दी जाए।

3. प्रार्थी–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत Manish Sisodia Vs Directorate Of Enforcement, 2024 INSC 595 प्रस्तुत किया, जिसका ससम्मान अवलोकन किया गया।

4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए जाहिर किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त से अभी अभिरक्षात्मक अनुसंधान शेष है। अभियुक्त पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी को पॉलिसी का पैसा दिलाने के नाम पर एक वर्ष तक समय–समय पर राशि विभिन्न बैंक खातों में प्राप्त करते हुए लगभग 17.50 लाख रूपये की धोखाधड़ी किए जाने का आरोप है, प्रकरण में प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा धोखाधड़ी हेतु सहअभियुक्त को जोड़ने एवं संसाधन उपलब्ध कराते हुए अपराध में सक्रिय भूमिका निभाई गई है। अभियुक्त लगभग 07 वर्षों तक फरार रहा है, जबकि अन्य तीन अभियुक्तगण के विरूद्ध चालान वर्ष 2019 में पेश होकर उन्हें वर्ष 2024 में दोषसिद्ध घोषित किया जा चुका है। अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है। प्रकरण में अन्य अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी अभी शेष है। अतः अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किए जाए।

5. दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया तथा केस डायरी का अवलोकन किया गया। हस्तगत मामले में परिवादी कैलाश चंद शर्मा द्वारा दर्ज करवायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अब तक हुए अनुसंधान के अनुसार परिवादी को वर्ष 2013 में एस.बी.आई. शाखा, चाकसू से पर्सनल लोन के साथ एक पॉलिसी जारी की गई, जिसकी परिवादी द्वारा एक ही किश्त जमा करवाई गई थी, उक्त पॉलिसी के संबंध में वर्ष 2018 में सहअभियुक्त गजेन्द्र सिंह द्वारा स्वयं को गवर्निंग बॉडी ऑफ काउंसलिंग का सदस्य होना बताते हुए परिवादी को पॉलिसी की राशि मय ब्याज दिलवाए जाने का झूंठा आश्वासन देते हुए परिवादी से प्रथम बार वर्ष 2018 में 9,400/–रूपये ए टू जेड सोल्यूशन के खाते में जमा करवाए गए एवं उसके पश्चात लगातार अन्य सहअभियुक्तों द्वारा फोन कर किसी न किसी बहाने से परिवादी से एक वर्ष तक समय–समय पर विभिन्न खातों में कुल राशि 17,41,620.99 रूपये प्राप्त किए गए। प्रकरण में प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा

सहअभियुक्त खाताधारकों को जोड़ने, संसाधन उपलब्ध कराने एवं धोखाधड़ी की योजना के क्रियान्वयन का आरोप है। मामला धारा 420, 419, 406, 120बी भा.द.सं. के तहत अनुसंधानाधीन है।

6. यद्यपि पुलिस द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त अन्य कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं हुआ है, किन्तु हस्तगत मामले में अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर परिवादी को पॉलिसी संख्या 35039363504 की राशि मय ब्याज वापस दिलवाए जाने हेतु गवर्निंग बॉडी ऑफ काउंसलिंग का सदस्य होना बताते हुए प्रार्थी से समय–समय पर विभिन्न खातों में 17,41,620.99 रूपये प्राप्त किया जाना एवं प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त खाताधारकों को जोड़ने, समस्त संसाधन उपलब्ध करवाते हुए प्रमुख समन्वयक होना प्रथम दृष्टया प्रकट हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में वर्ष 2019 में अन्य अभियुक्तगण मनीष कुमार सैनी, विनीत कुमार सैनी व राजन कुमार के विरूद्ध चालान पेश होकर दिनांक 02.07.2024 को निर्णय पारित होकर उन्हें दोषसिद्ध घोषित किया जा चुका है, प्रार्थी–अभियुक्त काफी लंबे समय से अपनी गिरफ्तारी के भय से फरार चल रहा है, जिसके विरूद्ध न्यायालय द्वारा स्थाई गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जा चुका है। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा प्रकरण के अनुसंधान में भी कोई सहयोग नहीं किया जाना प्रकट होता है। इन परिस्थितियों में यदि प्रार्थी–अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किया गया, तो उपलब्ध हो सकने वाली साक्ष्य व सूत्र समाप्त होने तथा अनुसंधान विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में पारित न्यायिक अभिमतों से हम पूर्णतया सहमति व्यक्त करते हैं, किन्तु तथ्यों की भिन्नता के कारण उक्त विनिश्चय का इस प्रकरण की वर्तमान परिस्थिति में कोई सकारात्मक सहयोग प्रदान करना नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, अन्वेषण के दौरान अभियुक्त के असहयोगात्मक रवैये एवं फरार हो जाने के आचरण दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोषों पर कोई टिप्पणी किये बिना इस

न्यायालय के न्यायिक विवेकानुसार प्रार्थी–अभियुक्त का यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

7. फलतः प्रार्थी/अभियुक्त रोहित कुमार की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्नुसार अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(ब्रजेन्द्र जैन)
सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम

8. आदेश आज दिनांक 18.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रजेन्द्र जैन)
सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम

मेघेन्द्र/

MEGHENDRA PALIWAL

20.06.2026 12:50
"Stenographer Authenticated Document"